

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टेपर उठाने के लिए पट्टा शिविर का आयोजन तहसील बुलन्दशहर में नायब तहसीलदार नगर के न्यायालय में दिनांक 20-06-2014 को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। पट्टा शिविर में पट्टा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश सं0 3756-1-2/95 रा0-2 दिनांक 17-10-1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पट्टा नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार रु0 10000/-प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित स्थान व तिथि एवं नियत समय पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर का होगा।

ग्रामों की सूची निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल(हे0 म)	क्रमांक	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (हे0 म)
1	बरारी	80 175	0.640 0.453	12	बकौरा	591 684	0.354 1.643
2	खेतलपुर भौंसौली	166 264	0.417 0.848	13	मैथना जगतपुर	238	1.020
3	मीरपुर	65	0.759	14	गंगेरुवा	211	0.288
4	हरतौली	36	1.287	15	परताबपुर	222	0.455
5	सीकरी	160	0.974			341 452	0.531 0.481
6	भटौना	97 116	0.247 0.407			476 54	0.999 0.670
7	मानकपुर	135/1 135/2 177	2.453 0.252 0.822			327 213	0.288 0.621
8	इमलिया	16	1.944	16	दोस्तपुर	315 447	0.240 0.415
9	कलौली	230	0.341	17	सीही	148 154	0.771 0.949
10	कौलसेना	410	1.423				
11	बीहरा	950	0.724				

तहसीलदार, सदर
बुलन्दशहर

पत्रांक /र0का0/मत्स्य पट्टा/2014-15
प्रतिलिपि:-


दिनांक:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
- 2-उप जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 3-उप जिलाधिकारी/तहसीलदार,सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/डिबाई/अनूपशहर/शिकारपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 4-सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 5-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनरोध के साथ कि कृप्या नेट पर डालने का कष्ट करें।
- 6-अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
- 7-राजस्व निरीक्षक वरन/अगौता/औरंगाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बंधित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार अपने-अपने ग्रामों में कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पट्टा शिविर की तिथि को प्रस्तुत करने हेतु।
- 8-नायब तहसीलदार, बुलन्दशहर को सूचनार्थ।
- 9-सम्बंधित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धन समिति को सूचनार्थ।

तहसीलदार, सदर
बुलन्दशहर

प्रेस-विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टेपर उठाने के लिए पट्टा शिविर का आयोजन तहसील बुलन्दशहर में नायब तहसीलदार नगर के न्यायालय में दिनांक 20-06-2014 को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा। पट्टा शिविर में पट्टा आवंटन की कार्यवाही शासनादेश सं० 3756-1-2/95 रा०-2 दिनांक 17-10-1995 के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। पट्टा नीलामी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार रु० 10000/-प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा,खतौनी व प्रार्थना पत्र के साथ निर्धारित स्थान व तिथि एवं नियत समय पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन पट्टा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। पट्टा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर का होगा।


तहसीलदार, सदर
बुलन्दशहर